तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाहीमय इनिशियल्स जज
23/1/17	वकील फरीकैन उप० / पूर्व पीठासीन अधिकारी स्थानान्तरण हो जाने के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका / पत्रावली वास्ते मजीद ब दि० 1/2/17 को पेश हो / इतना लिखने प बहस मजीद सुनी गई / पत्रावली वास्ते फाईनल निर्णय दिनांक 1/2/17 को पेश हो Riy
1/2/17	वकील फरीकैन उप० / पूर्वादेशानुसार वास्ते नि दि० 9/2/17 को पेश हो / Riy
9/2/17	वकील फरीकैन उप० / आज वाद डिक्री किय जाता है। तथा उस वाद के साथ सम्मिलित वाद (गरीबी) बत्तीलाल बनाम हल्के खारिज किय गया है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसला शुदा होकर दाखिल दफ्तर हो तथा बाद तामील तकमील नकल डिक्री बनहो / Riy

	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
94	दावा	17.12.94	
97		16.09.97	
2007		13.02.07	09.02.17

पुत्र कलुआ आयु 73 साल जाति मीना निवासी सपोटरा तहसील सपोटरा जिला
(राज) –वादी

बनाम

1. गटोली पुत्र नारायण (मतृक)
   1/1 बत्तीलाल ।
   1/2 घमण्डी । पुत्रान गटोली
   1/3 राजू ।
   1/4 चैनबाई । पुत्रीयान गटोली
   1/5 फूलवती ।
2. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील सपोटरा
3. मंगल ।
4. काडया । पि0 नारायण
5. रामजीलाल(फौत) ।
   5/1 मुकेशी पुत्री रामजीलाल
6. कलुआ पुत्र पांच्या (हजफ) (फौत)
7. श्योपाल । पि0 सांवलिया
8. श्रीफूल ।
9. कोरया पुत्र बुद्धु
10. बजरंग पुत्र हरिभजन
11. कल्याण पुत्र गणेश जाति ब्राहम्ण (हजफ)
12. प्रभू । पि0 गंगाधर
13. मोती ।
14. मोहनदास पुत्र नाथ्या (हजफ)
15. बजरंग पुत्र रामधन प्रतिवादी सं02,11 के अतिरिक्त

सभी जातिगण मीना निवासीयान सपोटरा जिला करौली राजस्थान

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् इन्द्राज दुरस्ती, घोषणा एवं हुक्त इम्तनाई दवामी

स्थितः– श्री मदनमोहन गुप्ता वकील वादी।
श्री नेमीचंद गप्ता वकील प्रतिवादीगण

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि हल्के ने एक दावा 319/90 दिनांक .11.90 को सहायक कलक्टर सपोटरा के न्यायालय मे प्रस्तुत किया तथा इसी का एक दावा हल्के ने ही 567/94(211/97) इसी न्यायालय मे पेश किया या। इसी विषय पर गटोली ने एक दावा 284/90 दिनांक 27.11.90 को इसी यालय मे प्रस्तुत किया। तीनो प्रकरण समान प्रकृति के होने के कारण तीनों रणों को समेकित करने के आदेश दिये गये। सुनवाई बाद न्यायालय सहायक

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

न्यायालय मे अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के पृथक पृथक प्रार्थना पेश किये। जिनको इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2005 से स्वीकार कर दावों को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवाई हेतु आदेश प्रदान किये।

उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर वादी हल्के पुत्र कलुआ ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर मे तीन पृथक पृथक निगरानी सं0 756/06, [illegible]/06 व 782/06 पेश की। उक्त निगरानियों को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 20.6.06 से खारिज कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.12.2005 को यथावत रखा गया।

उपरोक्त निर्णय की पालना मे तीनों दावों को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर सुनवाई चालू की गई। जिसके नवीन नम्बर 2/07 उनवानी हल्के बनाम गटोली (बत्तीलाल), 3/07 बत्तीलाल(गटोली) बनाम हल्के व 4/07 हल्के बनाम गटोली (बत्तीलाल) है। दिनांक 9.3.08 को न्यायालय ने मुकदमा नं0 2/07 व 3/07 को दावा (4/07) के साथ समेकित करने एवं संयुक्त तनकीयात कायम करने के आदेश दिये। अतः विवेचनाधीन दावे के साथ उक्त दावो को भी इसी निर्णय से निर्णीत किया जा रहा है।

दावे मे वादी द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार से है कि "ग्राम सपोटरा मे वादी की खातेदारी की आराजीयात खसरा नं0 833,835,838,874,877,880,881, 886,887,896 है जो वादी व उसके भाई चतरू की शामलाती की है। खसरा नं0 874,877,881 की सिचाई हमेशा से अब तक चाह खसरा नं0 882 से होती आ रही है। उक्त चाह खसरा नं0 882 की दीगर हिस्सेदारान वशमूल वादी व प्रतिवादी नं0 3 लगायत 5 की संयुक्त रूप से शामलाती है। दिनांक 31.12.89 को प्रतिवादी नं0 1 ने खं0 नं0 874 व 877 की सिचाई चाह खसरा नं0 882 से करते समय झगड़ा करने का प्रयास किया तथा धमकी दी। अतः सम्बत् 2015 की पैमाईश के अनुसार कागजात पटवार मे 874 व 877 खसरा नम्बरान की सिंचाई चाह खसरा नं0 882 से होने की इन्द्राज दुरस्ती की जावे। प्रतिवादी नं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह उक्त चाह से सिंचाई मे बाधा उत्पन्न न करे और ना करावे। संलग्न उनवानी दावे नं0 319 नवीन नम्बर [illegible]/07 जो स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है, मे भी यह इस्तदुआ उपरोक्त तथ्यों के साथ की गई है कि प्रतिवादी सं0 1 ता 4, 882 नम्बर चाह से खसरा नं0 836, 837, 876, [illegible] से 891 व 893 की पिलाई न करे।"

इसके विपरीत दावा सं0 284/90 उनवानी बत्तीलाल(गटोली) बनाम हल्के जिसका नवीन नम्बर 3/07 है, मे विवेचनाधीन दावे के प्रतिवादी गटोली ने दावा किया है कि चाह नं0 882 से प्रतिवादीगण केवल खसरा नं0 881 की ही पिलाई करते है। अतः खसरा नं0 833,835,838,874, 877,880,886,887 व 896 मे उक्त चाह से पानी न लेवे ऐसी स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वकील प्रतिवादीगण ने जवाब दावा पेश कर अपना कथन किया कि आराजी खसरा नं0 874, 877 चाह नं0 834 से सिंचित होते है जिसका राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज है तथा खसरा नं0 881 भी कभी चाह खसरा नं0 882 से सिंचित नही हुआ है तथा बन्दोबस्त रिकार्ड मे गलत इन्द्राज हो गया है बल्कि खसरा नं0 881 भी चाह खसरा नं0 834 से सिंचित होता है। चाह खसरा नं0 834 पर बिजली की मोटर लगी हुई है तथा चाह खसरा नं0 834 से पिलाई होने के लिए ख0 नं0 874, 877 तक पाईप बिछे हुए है। वादी ने अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है इसलिए दावा चलने योग्य नही है, दावा वादी खारिज होने योग्य है। वादी की समस्त आराजीयात की पिलाई सैट्लमेंट के समय से ही खसरा नं0 834 से ही होती आ रही है। चाह खसरा नं0 882 से वादी का पिछले 35 वर्षो से कोई सम्बन्ध नही रहा हैं, ना ही इससे वादी की आराजीयात की कभी

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला-करौली

किये गये है।

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र मद नं0 1 वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की है एवं खसरा नं0 874, 877, 881 की सिंचाई हमेशा से ख0 नं0 882 मे स्थित चाह से होती चली आ रही है। वादी प्रतिवादी नं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है? –वादी
2. आया दावा वादी म्याद बाहर है? –प्रतिवादी
3. आया दावा वादी बिना सहखातेदारान को पक्षकार बनाये चलने योग्य नही है? –प्रतिवादी
4. आया दावा वादी राजस्व न्यायालय के सुनवाई योग्य नही है? –प्रतिवादी
5. आया प्रतिवादी वादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है? –प्रतिवादी
6. अनुतोष?

बाद विवाधक बिन्दु साक्ष्य वादी ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य मे पी. डब्ल्यू–1 हल्के एवं गवाह रामबाबू पी0डब्ल्यू–2 के बयान लेखबद्व कराये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रमाणित प्रति जमाबंदी सं0 2015–34, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सं0 2032–2035, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सं0 2036–2039, प्रमाणित प्रति जमाबंदी सं0 2045–48 तथा प्रमाणित प्रति नक्शा ट्रेस सं0 2015 पेश किये है। साक्ष्य वादी समाप्त की गयी।

साक्ष्य प्रतिवादी मे प्रतिवादी सं0 1/2 घमण्डी का मौखिक बयान डी.डब्ल्यू–1 लेखबद्व कराये गये और अन्य साक्ष्य किसी के द्वारा नही की गई है और साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त की गई।

तनकीवाईज विवेचन निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं0 1ः– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा पेश जमाबंदी सं0 2015–34, सं0 2032–35, सं0 2036–39, सं0 2041–44, सं0 2045–48 मे दर्ज आराजीयात वादी हल्के के पिता कलुआ के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा सम्बत् 2015 (सेटलमेंट) से 2039 तक की जमाबंदीयों मे खसरा नं0 874 व 877 की सिचाई का साधन चाह खसरा नं0 882 दर्शाया गया है जबकि इसके बाद की जमाबंदी सं0 2041–44 मे उक्त खसरा नं0 की सिचाई का साधन बिना किसी वैध एवं सक्षम आदेश के चाह खसरा नं0 834 दर्शाया गया है इससे यह साबित है कि वादी के पिता के खसरा नं0 874 व 877 की सिचाई चाह खसरा नं0 882 की बजाय बाद मे अविधिक रूप से 834 खसरा नं0 चाह से बताने की प्रविष्टि कर दी गई जो गलत है। वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे खसरा नम्बरान मे परिवर्तन होकर साबिक खसरा नम्बर 874 के नये नम्बर 555, 877 के नये नम्बर 558 व 882 का नया नम्बर खसरा नम्बर 563, व 834 का नया खसरा नं0 515 है जो कि प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल से स्पष्ट है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 2ः– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है जिसके लिए प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मे कोई स्पष्ट कारण दर्ज नही किया है कि वादी का दावा किस तरह म्याद बाहर है ना ही इस सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज पेश किया है। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

तनकी नं0 3ः– इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। केवल मात्र प्रतिवादीगण के जवाब दावा मे अंकन से पक्षकार मुकदमा बनाया जाना विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अन्य सहखातेदार आराजी विवादित से किस प्रकार हित निहित रखते है, प्रतिवादीगण ने अपने जवाबदावा मे स्पष्ट अंकन नही किया गया है। बिना आराजी विवादित मे हित निहित हुए किसी को पक्षकार मुकदमा बनाया जाना न्यायायिक दृष्टि से भी उचित प्रतीत नही होता है। इसलिए यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण तय की जाती है।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा, जिला–करौली

तनकी नं0 4:- इस तनकी को भी साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। चूंकि दावा चाह से सम्बन्ति नही है। केवल वादी की कृषि भूमि की सिचाई के साधन के उद्देश्य से वादी का वाद पत्र पेश हुआ है उक्त प्रकरण राजस्व रिकार्ड मे सिचाई के स्रोत के गलत अंकन से सम्बन्धित है जिसे इस न्यायालय को सुनवाई का पूर्ण अधिकार हैं इसलिए यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी नं0 5:- इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर है। इस तनकी के लिए प्रतिवादीगण को जवाब दावा के साथ काउन्टर क्लेम पेश करना चाहिए था जो कि पेश नही किया है। बिना काउन्टर क्लेम के प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जाना कानून मे नही है। इसलिए यह तनकी भी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी नं0 6:- यह तनकी अनुतोष है। तनकी सं0 1 ता 5 के विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

बहस अंतिम उभयपक्ष सुनी गई। बहस मे वादी व प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण के अपने अपने अभिवचन अनुरूप तर्क रहे है और इसी अनुरूप साक्ष्य का अपने अपने पक्ष मे पठन किया है।

बहस वकील फरीकेन का मनन किया गया तथा पत्रावली को अधोपान्त अवलोकन किया गया। वाद पत्र, संलग्न दो अन्य दावो, दस्तावेजात गवाही व बहस पर समग्रता से विचार किया गया। संबत् 2015 से (सेटलमेंट से) सं0 2039 तक की जमाबन्दियों मे खसरा नं0 874 व 877 की सिंचाई का साधन चाह खसरा नं0 882 दर्शाया गया है जबकि इसके बाद की जमाबंदी मे उक्त खसरा नं0 की सिंचाई का साधन बिना किसी वैध एवं सक्षम आदेश के चाह खसरा नं0 834 दर्शाया गया है। इससे यह साबित है कि वादी के खसरा नं0 874 व 877 की सिंचाई खसरा नं0 882 चाह की बजाय बाद मे अविधिक रूप से खसरा नं0 834 चाह से बताने की प्रविष्टि कर दी गई है जो गलत है। वर्तमान मे राजस्व रिकार्ड मे खसरा नम्बरान मे परिवर्तन होकर साबिक खसरा नम्बर 874 के नये खसरा नं0 555, 877 के नये खसरा नं0 558, 882 का नया खसरा नं0 563 व 834 का नया खसरा नं0 515 है। अतः राजस्व रिकार्ड से एवं उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से वादी हल्के का दावा उचित सिद्व होता है। इसलिए वादी का दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे साबिक खसरा नं0 874 व 877 जिनके वर्तमान खसरा नं0 555 व 558 है के सिचाई का साधन के कॉलम मे चाह नं0 563 (साबिक ख0नं0 882) दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के खसरा नं0 555 व 558 की सिंचाई चाह ख0नं0 563 से होने मे बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे न कराये। दावा उनवानी बत्तीलाल (बटोली) बनाम हल्के वगैरहा खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

तीनों पत्रावलिया निर्णीत मानी जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रतिलिपि सभी पत्रावलियों मे रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 09.02.2017 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

Rj
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा(करौली)
9/2/17